

अध्याय III

नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

3.1 प्रस्तावना

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों का वर्णन करती है और भारत की समेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की सीएजी से अपेक्षा करती है, और यह सन्तुष्ट करने के लिए कि नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुरक्षित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं और उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों की हमारी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हमारे अधिदेश को पूरा करने के लिए हम निर्धारिती के अभिलेखों को सत्यापित करते हैं जो कर गणना का आधार बनते हैं जो स्वयं निर्धारण के युग में निर्धारिती को मौजूदा नियमों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की प्रभाविकता की जांच करता है। उनकी संविक्षा, लेखापरीक्षा कर आधार विस्तार आदि करने में विभाग की विशिष्ट असफलता पर आपत्तियां आदि को आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता पर पृथक अध्याय में सूचित की जाती है और विभाग द्वारा संवीक्षित अथवा लेखापरीक्षित नहीं किये जाने के मामले में निर्धारिती द्वारा अननुपालन पर आपत्तियाँ अथवा “नियमों और विनियमों के अननुपालन” शीर्षक के अन्तर्गत पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

हमने (i) सेवा कर के भुगतान (ii) सेनवैट क्रेडिट के लाभ प्राप्त करने और (iii) ब्याज के भुगतान से संबंधित अनियमितताओं को प्रत्येक वर्ष बताते हुए आ रहे हैं और यह देखा गया है कि यह अनियमितताएं लगातार हैं क्योंकि आपत्तियों की समान प्रकृति लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष में बताई जाती है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

तालिका: 3.1

(₹ करोड़ में)

आपत्तियों की प्रकृति	2013-2014		2014-2015		2015-2016	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सेवा कर भुगतान न करना	37	12.56	47	186.50	76	82.36
सेवा कर का कम भुगतान	12	46.05	19	6.39	16	19.68
सेनवैट क्रेडिट	23	43.35	20	9.99	15	14.25
ब्याज	8	17.32	11	4.70	4	1.94
कुल	80	119.28	97	207.58	111	118.23

मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए केवल व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तिगत निर्धारिती से राशि को वसूल करने अथवा उक्त के लिए मांग नोटिस जारी करते हुए केवल सुधारात्मक कार्रवाई करता है लेकिन निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर को सुधारने के लिए स्थापित प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि हम पुनः वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 92.61 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले सेवा कर/ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने और उपयोग करने के 92 मामलों को फिर बता रहे हैं। मंत्रालय को प्रौद्योगिकी का उपयोग और डाटा बेस के एकीकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने ऐसे कर उद्ग्रहण और संग्रहण प्रणाली स्थापित की हैं, जिससे निर्धारिती का अननुपालन होना मुश्किल हो जाएगा।

वर्तमान रिपोर्ट में शामिल 92 मामलों में से 80 मामले जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और वसूलियों की गई/वसूलियों की कार्यवाही आरम्भ की गई, **परिशिष्ट-III** में उल्लेखित हैं और 12 मामलों पर निम्नलिखित दो मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत इस अध्याय में चर्चा की गई है:

- सेवा कर का भुगतान न करना
- सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना

3.2 सेवा कर का भुगतान न करना

3.2.1 छूट का गलत लाभ उठाना

3.2.1.1 वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं पर गलत छूट

मेगा छूट अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के पैरा 14 के अनुसार रेलवे से संबंधित मूल कार्यों के निर्माण, उत्थापन शुरू करना या स्थापित करने की सेवाएं सेवा कर से मुक्त हैं। इसके अलावा सेवा कराधान बोर्ड द्वारा जारी 'एक शिक्षा निर्देशिका' के पैरा 7.11.11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सड़क हवाईअड्डे, रेलवे आदि के निर्माण वाली परियोजनाओं के संबंध में सेवाएं प्रदान कर रहा है जो ऐसे निर्माण के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त हैं तो मेगा छूट में निर्धारित प्रविष्टियों का लाभ ऐसे व्यक्ति को जब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उप ठेकेदार के क्रियाकलाप स्वयं छूट के दायरे में नहीं आते हैं। यह महत्व समझा जाए कि जो छूट में प्रयुक्त शब्दों "सड़क के निर्माण के माध्यम द्वारा सेवाएं आदि हैं" और सड़क के निर्माण के संबंध में सेवाएं आदि नहीं हैं।

पटना कमिश्नरी में मै. स्पीडक्राफ्ट लि. ने मै. फूलटॉस हर्सको रेलस साल्यूशन प्रा. लि. से वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं को देने (जनवरी 2014 से मार्च 2014) के लिए ₹ 3.78 करोड़ प्राप्त किए। निर्धारिती ने ₹ 46.76 लाख के सेवा कर और शिक्षा उपकर का भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि कार्य का क्षेत्र उक्त अधिसूचना के अनुसार रेलवे से संबंधित निर्माण, उत्थापन शुरू करना अथवा स्थापना अथवा मूल कार्य आदि के माध्यम सेवाओं शीर्ष के अन्तर्गत आता है और इस प्रकार सेवा कर भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की सेवाएं मुख्य सेवा से संबंधित हैं और रेलवे के निर्माण, उत्थापन, स्थापना अथवा शुरूआत करने के रूप में नहीं और अतः शिक्षा निर्देशिका के पैरा 7.11.11 के अनुसार कर मुक्त नहीं है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं के लिए रेलवे से सेवा कर और शिक्षा कर प्रभारित किया। जब रेलवे अधिकारियों को बिलों को सीधे प्रस्तुत किया था लेकिन जब बिलों को उसी सेवा के लिए मै. फूलटास हार्सको रेलस साल्यूशन प्रा.लि. (एक संयुक्त उद्यम कंपनी मै. स्पीड क्रफ्ट लि.) को प्रस्तुत किया गया तो इन्हें कर मुक्त माना गया था।

जब हमने इसे बताया (मई 2015) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2017) कि निर्धारिती को ₹ 2.81 करोड़ का एससीएन जारी किया जा रह था। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.1.2 सफाई सेवाओं पर गलत छूट

कृषि बागवानी/दुग्ध /शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरण अथवा जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता बचाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अथवा झुग्गी झोपड़ी सुधार और उन्नयन के रूप में शासकीय प्राधिकरण को दी जाने वाली सेवाओं⁴¹ को छोड़ कर, सफाई सेवा कर योग्य सेवा है।

चण्डीगढ़ -। कमिश्नरी में मै. पुंज सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रा. लि. ने मै. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. (भेल) को जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान सफाई सेवाएं दी थी और ₹ 2.49 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। क्योंकि निर्धारिती ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान को सफाई सेवाएं दी थी जिन पर छूट नहीं थी इसलिए वह उक्त राशि पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी था। परन्तु निर्धारिती द्वार न तो एसटी-3 विवरणियां में उक्त राशि को दिखाया और न ही सेवा कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.78 लाख के सेवा कर और ₹ 8.71 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ (फरवरी 2016 तक)।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2016) तब कमिश्नरी ने बताया कि (फरवरी 2016) निर्धारिती से तथ्यों के सत्यापन करने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय का उत्तर और कमिश्नरी द्वारा की गई आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी(अक्टूबर 2017)।

3.2.2 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धाररा 66(ई)(ई) के अनुसार किसी कार्य से बचना अथवा किसी कार्य या स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए अथवा कोई कार्य करने के लिए दायित्व को स्वीकार करना घोषित सेवा है।

⁴¹ सेवाओं की श्रृणात्मक सूची और मेगा छूट अधिसूचना सं. 25/2012 दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार

इसके अलावा, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 6(2)(vi) के अनुसार यदि किसी अप्रत्याशित कार्रवाई के कारण कोई दुर्घटना क्षति होती है तो उक्त राशि सेवा के कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं होगी। करार, अनुबंध अथवा एमओयू की शर्त के उल्लंघन के कारण निर्णीत हर्जाने उत्पन्न होते हैं। यदि उक्त क्षतियां अप्रत्याशित कार्रवाइयों के कारण नहीं हुई हैं तो इसे प्रतिफल के रूप में माना जाएगा और सेवा कर लागू होगा।

हैदराबाद-1।।कमिशनरी में मै. इलैक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (मै. ईसीआईएल) ने निर्णीत हर्जाने/विलम्ब सुपुर्दगी (अन्तरण) प्रभारों के प्रति आपूर्तिकर्ता से विव 2015 से विव 2016 के दौरान ₹ 10.34 करोड़ की राशि को वसूल किया था। आपूर्तिकर्ता के साथ हुए करार की जांच पर यह देखा गया कि आपूर्तिकर्ता 1 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर और प्रत्येक सप्ताह अप्राप्य मात्रा के 10 प्रतिशत की अधिकतम दर पर निर्णीत हर्जाने के भुगतान के लिए दायी था। सामग्री की देरी से आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्णीत हर्जाने/विलम्ब सुपुर्दगी प्रभारों का भुगतान किया गया और ऐसी देरी लिखित समझौते के द्वारा हुई सहमति के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा राशि के भुगतान पर निर्धारिती द्वारा बर्दाशत की जाती है, इसलिए उक्त कार्य वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66(ई)(ई) के अनुसार घोषित सेवा है। निर्णीत हर्जाने पर अमुक्त सेवा कर ब्याज सहित ₹ 1.39 करोड़ निर्धारिती से वसूलने की आवश्यकता है।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2016) तब कमिशनरी ने आपत्ति स्वीकार की (जनवरी 2017) और बताया कि आपत्ति में शामिल राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर और आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.3 करयोग्य सेवा का अव मूल्यांकन

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 नियत करती है कि जहां सेवा कर उसके मूल्य के संदर्भ में किसी कर योग्य सेवा पर प्रभार्य है, तब ऐसा मूल्य ऐसे मामले जहां सेवा का प्रावधान धन की प्राप्ति के लिए है में दी गई ऐसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि होगी।

3.2.3.1 कोचीन कमिशनरी में मै. ऐशियानिक इंजिनियरिंग कॉरपोरेशन एर्नाकुलम ने ट्राईल बैलेन्स के अनुसार विव 12 और विव13 के दौरान क्रमशः ₹ 8.63 करोड़ और ₹ 2.88 करोड़ की करार आय को प्राप्त किया। तथापि, एसटी-3 विवरणियांस के अनुसार करयोग्य मूल्य विव 12 और विव13 के लिए केवल क्रमशः ₹ 6.83 करोड़ और ₹ 1.78 करोड़ था। इसके कारण करयोग्य आय के अव मूल्यांकन के परिणाम के साथ ₹ 2.90 करोड़ के कर योग्य मूल्य के विभेदक पर ₹ 34.37 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2013) तब कमिशनरी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि विव 12 से विव 15 तक की अवधि के लिए ब्याज और शास्ति सहित ₹ 1.19 करोड़ के सेवा कर की मांग करने वाला एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया था (नवम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

3.2.3.2 व्यवसाय सहायक सेवा और प्रबंधन, रखरखाव अथवा मरम्मत सेवा, में लगे हैदराबाद एसटी कमिशनरी में मै. फ्लाइटेक ऐविएशन लि. ने विव13 से विव15 की अवधि के दौरान हास्टलरों को दी गई कोचिंग सेवाओं के संबंध में हास्टल प्रभारों के प्रति छात्रों से ₹ 93.01 लाख को राशि का संग्रहण किया था। तथापि, निर्धारिती ने कर योग्य सेवा के अपने मूल्य में इस राशि को शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के अतिरिक्त ₹ 11.50 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब कमिशनरी ने (फरवरी 2017) आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि आपत्ति में सम्मिलित राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर और आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.4 विभिन्न कर योग्य सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर न चुकाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 के अनुसार किसी व्यक्ति के कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर सेवा कर जो कि निर्धारित की जाए धारा 66 में निर्धारित दर पर सेवा कर का

भुगतान करेगा। इसके अलावा सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6 के अनुसार सेवा कर माह के 6वें दिन तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट को भुगतान करना होगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली जमा किया जाना है और किसी अन्य मामले में माह के 5वें दिन तक।

नोएडा -II कमिश्नरी में मै. पीटीसी इंजिनियरिंग इंडिया प्रा. लि. को मैनपावर रिक्रूटमेंट एजेन्सी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी और अचल संपत्ति सेवाओं का किराया पर देने के लिए ₹ 24.75 लाख की सीमा तक के सेवा कर (नवम्बर 2015 से मार्च 2016) का भुगतान करना अपेक्षित था लेकिन भुगतान नहीं किया था। अतः ₹ 24.75 लाख तक की राशि का सेवा कर यथा लागू ब्याज और शास्ति सहित निर्धारिती से वसूलने योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मई 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और बताया कि एक मसौदा एससीएन तैयार किया जा रहा था। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.5 प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर न चुकाना

सेवा प्राप्तकर्ता कुछ निश्चित मामलों में प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर भुगतान के लिए दायी है। अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के खंड (ज) के अनुसार जहां मानव श्रम की आपूर्ति में लगा सेवा प्रदाता हुए हैं व्यष्टि, मालिक, भागीदारी, एचयूएफ अथवा व्यक्तियों का संघ है और सेवा प्राप्तकर्ता निगमित निकाय है वहां सेवा प्राप्तकर्ता करयोग्य मूल्य के 75 प्रतिशत की सीमा तक सेवा कर भुगतान करने के लिए दायी है।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में मै. सीटीए लोजिस्टीक ने विव13 से विव14 के दौरान ₹ 2.48 करोड़ की राशि की मानवश्रम आपूर्ति सेवा प्राप्त की थी। कुछ बीजकों में सेवाप्रदाता ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मूल्य के 75 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, निर्धारिती ने सेवा प्राप्तकर्ता होते हुए उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार प्रति प्रभाव तंत्र के अन्तर्गत किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सेवा के कर योग्य मूल्य

के 75 प्रतिशत पर संगणित ₹ 23.02 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2017) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि एससीएन तैयार किया जा रहा था।

आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.3 सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति/उपयोग

3.3.1 छूट प्राप्त सेवा पर सेनवैट क्रेडिट प्रति न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6 कहता है कि सेनवैट क्रेडिट छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में या के संबंध प्रयुक्त इनपुट में या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा।

3.3.1.1 हैदराबाद एसटी कमिशनरी में मै. अपोलो हॉस्पिटल इन्टरप्राइज लि. कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा, फ्रेंचाइज सेवा, अचल संपत्ति की रेंटिंग सेवा आदि देने में लगा था। विव13 से विव15 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि निर्धारिती ने क्लिनिक स्थापना द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान की थी जो एक छूट प्राप्त सेवा है। निर्धारिती ने कॉमन परिसर किराया और सुरक्षा सेवा इत्यादि जैसी कॉमन इनपुट सेवाओं पर कर भुगतान का क्रेडिट लिया था अतः निर्धारिती उपरोक्त अवधि के लिए छूट प्राप्त सेवाएं देने के लिए इनपुट सेवाओं पर आरोप्य सेनवैट क्रेडिट का प्रति करने के लिए अपेक्षित था ब्याज के अलावा ₹ 2.16 करोड़ बनता था।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2017) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2017) कि ₹ 81.35 लाख की राशि वसूली गई थी और शेष राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था।

3.3.1.2 वडोदरा-1 कमिशनरी में मै. अलेम्बिक लि. ने 532 आवासीय इंकाईयों को वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था। विव13 और विव 15 के दौरान

निर्धारिती द्वारा लिए गए सेनवैट क्रेडिट की कुल राशि ₹ 3.54 करोड़ बनती है।

संवीक्षा पर, हमने देखा कि निर्धारिती ने 360 इकाइयों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र (जुलाई 2014) प्राप्त होने से पहले बुकिंग प्राप्त की जिस पर सेवा कर का भुगतान किया गया था। तथापि, पूर्णता प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद बुक की गई शेष 172 इकाइयों, (32.33 प्रतिशत) के संबंध में को निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं था।

चूंकि, निर्धारिती द्वारा इन 172 इकाइयों के संबंध में दी गई निर्माण सेवाएं सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी, इसलिए इन इकाइयों के संबंध में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट की प्राप्ति हेतु यह हकदार नहीं था। इस प्रकार, निर्धारिती को ₹ 1.14 करोड़ के अनुपाती सेनवैट क्रेडिट के प्रति की आवश्यकता थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित (मई 2017) किया कि निर्धारिती ने बिकी हुई इकाइयों के अनुपातिक क्षेत्र के अनुसार ₹ 1.18 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का विरोध करते हुए प्रति किया था और कि आगामी जांच पड़ताल के दृष्टिकोण से एससीएन जारी नहीं किया गया था।

आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.3.2 छूट प्राप्त सेवा पर सेनवैट क्रेडिट का समयपूर्व उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 3(4) के अनुसार, सेवा कर के शुल्क का भुगतान करते समय, सेनवैट क्रेडिट का उपयोग केवल उस माह/तिमाही से संबंधित शुल्क अथवा कर के भुगतान के लिए माह/तिमाही के अन्तिम दिन उपलब्ध ऐसे क्रेडिट तक किया जाएगा।

जयपुर कमिश्नरी में मै.मैन स्ट्रक्चरल प्रा. लि. ने मै. यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (यूपीपीटीएल) इलाहाबाद को ₹ 13.18 करोड़ के मूल्य कार्य अनुबंध सेवाएं दी थी जिस पर ₹ 93.04 लाख का सेवा कर (उपकर सहित) देय था। अभिलेखों की संवीक्षा से यह पता चला कि जनवरी से मार्च 2016 के महीनों के लिए ₹ 93.04 लाख की कुल देयता के प्रति, निर्धारिती ने नकद

द्वारा ₹45.99 लाख और सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा ₹47.05 लाख की शेष राशि का भुगतान किया। 31 मार्च 2016 को उसके सेनवैट लेखा में निर्धारिती के पास कोई क्रेडिट शेष नहीं था। प्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की उपयोगिता को निर्धारिती द्वारा अप्रैल से जून 2016 के महीनों के दौरान प्राप्त किया था। जब कि सेवा कर की राशि का भुगतान जनवरी से मार्च 2016 के दौरान किया जाना था। इस प्रकार जनवरी से मार्च 2016 के दौरान भुगतान किए जाने वाले सेवा कर के भुगतान के लिए मार्च 2016 के बाद प्राप्त 47.05 लाख के सेनवैट क्रेडिट का उपयोग गलत था। जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2016) तब कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹2.48 लाख के ब्याज सहित ₹47.05 लाख जमा करवा दिये हैं।

मंत्रालय अपने उत्तर (सितम्बर 2017) में दावा किया कि मामला इसके आईएपी द्वारा बताया गया था। जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आईएपी ने निर्धारिती द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने को बताया था परन्तु मंत्रालय यह नोट करे कि लेखापरीक्षा अपत्ति किसी और मामले अर्थात् सेवा कर के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट के समय पूर्व उपयोग के संबंध में थी।

3.3.3 उसी रूप में इनपुटों की निकासी पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की राशि का गैर भुगतान न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) 2004 का नियम 3(5) यह प्रावधान करता है कि जब इनपुटों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है को ऐसे आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर से उसी रूप में हटाया जाता है, तब आउटपुट सेवा का प्रदाता ऐसी इनपुटों अथवा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

कोचिन कमिश्नरी में मै. वोडाफोन सेल्युलर लि. ने मै. वोडाफोन साऊथ लि. मुम्बई को उसी रूप में ₹3.05 करोड़ मूल्य के डार्क फाईबर के तीन जोड़ों (इनपुटों) की (जनवरी 2015) निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती ने विव 15

की दूसरी छमाही की एसटी-3 विवरणियां के अनुसार ₹41.31 लाख के अनुपाती सेनवैट क्रेडिट का प्रति नहीं किया था भले ही बीजक में ₹41.31 लाख का प्रति दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹41.31 लाख के सेनवैट क्रेडिट का कम प्रति हुआ।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) और बताया कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया जा रहा था।

3.3.4 पुरानी अवधि के लिए इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

अधिसूचना सं. 21/2014-सीई(एमटी) के अनुसार 1 सितम्बर 2014 से इनपुट सेवा प्रदाता सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 9(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के छः माह पश्चात इनपुट सेवाओं का सेनवैट क्रेडिट नहीं लेगा जिसे 1 मार्च 2015 से एक वर्ष तक बढ़ाया गया था।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के महीनों के लिए मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में मै. नेटमैजिक आईटी सेवाएं लि. से संबंधित इनपुट सेवा के सेनवैट रजिस्टर की संवीक्षा की यह देखा गया कि निर्धारिती ने पुरानी अवधि अर्थात दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के छःमाह/एक वर्ष पश्चात इनपुट सेवाओं पर ₹12.70 लाख का सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप सेनवैट क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया गया जो ब्याज सहित वसूलने योग्य था।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2016) तब निर्धारिती ने ₹7.84 लाख के ब्याज सहित ₹12.70 लाख के सेनवैट क्रेडिट का भुगतान किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

